

वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अवनीश झिंगन, जे.)

इससे पहले अजय तिवारी और अवनीश झिंगन, जे. जे.

केंद्रीय आयुक्त, चंडीगढ़ II –

अपीलार्थी बनाम

मेसर्स वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-2018 का उत्तरदाता सी. ई. ए. संख्या 18

3 मार्च, 2020

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 35 जी; सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004-नियम 6 (1), 6 (2), 6 (3); केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002-नियम 12ए-नियम 6 (3) का लाभ चाहे वह निर्धारिती के लिए उपलब्ध हो-चाहे आचरण कुछ भी हो-सेनवैट क्रेडिट-छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में निवेश।शुल्क योग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के निर्माता के लिए सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखे जाएँगे।

माना गया कि नियम 6 (1) में कहा गया है कि छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर किसी भी प्रकार के ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी।उप-नियम (2) उप-नियम (1) के लिए अपवाद प्रदान करता है, यह उन मामलों से संबंधित है जहां (एस. आई. सी.) निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता शुल्क के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं दोनों में शामिल है। सेनवैट क्रेडिट (एस. आई. सी.) का लाभ उठाने के लिए, उप-नियम के खंड (ए) और (बी) में परिकल्पित रूप से अलग-अलग खाते बनाए रखे जाने हैं। उप-नियम (3) एक गैर-अवरोधक खंड के साथ शुरू होता है और एक (एस. आई. सी.) स्थिति पर विचार करता है जहां अलग-अलग खाते नहीं रखे जाते हैं और विकल्प प्रदान करता है। खंड (i) के अनुसार, छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का 6 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाना है; या खंड (ii) के अनुसार, उप-नियम (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए; या उप-खंड (iii) में प्रावधान है कि उप-नियम (2) के खंड (ए) के अनुसार इनपुट की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए एक अलग खाता बनाया जाना है और सेनवैट क्रेडिट केवल उप-खंड (ii) और (iv) के तहत इनपुट पर लिया जा सकता है। खण्ड (ए) के और खण्ड (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान इनपुट सेवाओं पर किया जाना है।

(पैरा 7) ने माना कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि 20.08.2012 तक निर्मित पाइपों की प्रकृति को छूट के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि गमाड को छूट प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। जिन वस्तुओं को मंजूरी दी गई थी, वे नियम 6 (3) के तहत शुल्क के भुगतान/समायोजन पर थे और शुल्क योग्य सामान भी थे, हालांकि उनका अनुपात कम

थान्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि देय वस्तुओं को 5.11.2012 पर मंजूरी दी गई थी, को चुनौती नहीं दी गई है।

614

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

(पैरा 8) अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलें अच्छी तरह से आधारित नहीं हैं। नियम 6 (2) छूट प्राप्त और देय वस्तुओं के निर्माण के लिए कोई न्यूनतम अनुपात प्रदान नहीं करता है। यह छूट प्राप्त और शुल्क लेने योग्य वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है और अलग-अलग खाते नहीं रखने की स्थिति में नियम 6 (3) लागू होता है और पहले विकल्प के अनुसार निर्माता छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य का 6 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(पैरा 9)

सौरभ गोयल, वरिष्ठ स्थायी वकील

अपीलार्थी के लिए।

रामनाथ प्रभु, प्रतिवादी के वकील।

अवनीश जिंगान, जे।

(1) इस सामान्य आदेश द्वारा, 2018 की सी. ई. ए. संख्या 18 और 21 वाली दो अपीलों का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा समान है। (2) राजस्व ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 35-जी के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दावा किया गया है:

“(क) क्या दिनांकित 10.8.2016, अनुलग्नक ए-3 का आक्षेपित आदेश अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है और इसलिए कानून की नजर में विकृत और असमर्थनीय है?

((ख) क्या एल. डी. न्यायाधिकरण अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा कि यह अनुमान लगाने के लिए कि निर्माण की शुरुआत में इनपुट क्रेडिट के लिए उपलब्ध हैं और इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि जिन वस्तुओं को अंततः मंजूरी दी गई थी, उन्हें छूट प्राप्ति थी निर्धारिती सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 (3) के लाभ का हकदार होगा?

(ग) क्या प्रत्यर्थी, जो विनिर्माण और सेनवैट क्रेडिट का दावा करने के समय अच्छी तरह से जानता था कि माल को छूट दी गई थी, केवल इसलिए सेनवैट क्रेडिट का लाभ पाने का हकदार है क्योंकि उसने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 (3) के संदर्भ में शुल्क का 6 प्रतिशत भुगतान किया है?

((घ) क्या सेनवैट क्रेडिट नियम के नियम 6(3) का लाभ निर्धारिती के लिए उपलब्ध हैं, चाहे उसका आचरण और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने का इरादा दुर्भावनापूर्ण क्यों ना हो।

(ई) क्या एल. डी. न्यायाधिकरण इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा स्वयं दायर ई. आर.-1 विवरणी पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा किया था कि 09/2012 से 4.11.2012 तक मंजूरी दिए गए सामान को छूट दी गई थी और इसलिए उत्तरदाता को खरीद के समय इनपुट के साथ-साथ अंतिम सामान के निर्माण के समय जी. एम. ए. डी. ए. के पक्ष में छूट प्रमाण पत्र के बारे में पता था?(च) क्या प्रत्यर्थी जिसने केवल एक मिश्रित थैले में अन्यथा छूट प्राप्त वस्तुओं को लाने के लिए 5.11.2012 दिनांकित खरीद आदेश में हेरफेर किया था और फिर सी. सी. आर., 2004 के नियम 6(3) के संदर्भ में 06 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करके सेनवैट क्रेडिट का दावा करने के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आदानों पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए नियम 6(3) का हकदार है?"

(3) तथ्य यह है कि मेसर्स वेलस्पन प्रोजेक्ट लिमिटेड (संक्षेप में, 'डब्ल्यू. पी. एल.') एम. एस. पाइपों के निर्माण में लगी हुई है, इसे जी. एम. ए. डी. ए. से 5.3.2012 पर पाइपों की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ। खरीद आदेश की शर्त के अनुसार, पाइपों की आपूर्ति अधिसूचना संख्या 12/2012-CE दिनांक 17.3.2012 के तहत छूट के अधीन की जानी थी और यदि GMADA उक्त अधिसूचना के तहत छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उस मामले में पाइपों पर शुल्क का भुगतान किया जाना था। मेसर्स वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में, 'डब्ल्यू. सी. एल.') ने जुलाई, 2012 में एक इकाई का अधिग्रहण किया और पाइपों का निर्माण शुरू किया। डब्ल्यू. पी. एल. ने डब्ल्यू. सी. एल. को उन पाइपों के लिए 20.7.2012 का ऑर्डर दिया, जिनकी आपूर्ति उसके द्वारा गमाड को की जानी थी। 20.8.2012 का, गमाडा ने एक छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 5.11.2012 को, डब्ल्यू. पी. एल. ने डब्ल्यू. सी. एल. को पाइपों की आपूर्ति के लिए एक और आदेश दिया और आपूर्ति शुल्क पर कर लगाया जाना था। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य होगा कि दोनों ऑर्डर 2250 मिमी डी 12 मिमी दीवार की मोटाई वाले एचएसएडब्ल्यू पाइपों की आपूर्ति के लिए थे। विवाद की अवधि सितंबर, 2012 से जून, 2013 तक है जिसमें निर्धारिती द्वारा यह दावा किया गया था कि छूट प्राप्त देय वस्तुओं का निर्माण और आपूर्ति की गई थी। विभाग ने इस जानकारी के आधार पर कि प्रतिवादीगण छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर सेनवैट क्रेडिट का दावा कर रहे थे, कारण बताएँ नोटिस जारी किए। इस आरोप का खंडन करते हुए और यह कहते हुए जवाब दायर किए गए कि निर्मित वस्तुओं को शुल्क के भुगतान पर और सेनवैट क्रेडिट के नियम 6(3)(1) में निर्धारित राशि को 6 प्रतिशत की दर से उलटकर अधिसूचना दिनांक 17.03.2012 के तहत छूट का लाभ उठाने के बाद भी मंजूरी दे दी गई थी नियम, 2004 (संक्षेप में, 'नियम')। निवारक कर्मचारियों द्वारा परिसर का दौरा किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दिनांकित 30.9.2014 आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया था और 5.11.2012 दिनांकित खरीद

आदेश केवल सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए था। इसके बाद, न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी गई, जिसने दिनांकित 10.8.2016 आदेश के माध्यम से अपीलों की अनुमति दी, इसलिए वर्तमान अपीलें।

(4) यद्यपि कानून (ए) से (एफ) के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तावित किए गए हैं, तथापि, प्रश्न (डी) वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक होगा।

(5) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि डब्ल्यू. सी. एल. ने केवल जुलाई, 2012 में इकाई का अधिग्रहण किया था और डब्ल्यू. पी. एल. द्वारा जी. एम. ए. डी. ए. को आपूर्ति किए जाने वाले पाइपों की आपूर्ति का आदेश जुलाई, 2012 में दिया गया था और 4.11.2012 तक, डब्ल्यू. सी. एल. केवल छूट प्राप्त वस्तुओं का निर्माण कर रहा था इसलिए नियमों के नियम 6 (3) के लाभ का दावा नहीं कर सकता था। यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने में आचरण दुर्भावनापूर्ण था और शुल्क के लिए देय पाइपों की आपूर्ति के लिए नवंबर, 2012 में दिया गया आदेश केवल नियम 6 का लाभ प्राप्त करने के इरादे से था। हालांकि, दुर्भावनापूर्ण या धोखाधड़ी के उक्त आरोप की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नहीं की जा सकती।

(6) संदर्भ के लिए, नियमों के नियम 6 (1) से (3) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“(1) सेनवैट क्रेडिट की अनुमति छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए या छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवा और हटाने के स्थान तक या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट की ऐसी मात्रा पर नहीं दी जाएगी, सिवाय उपनियम (2) में उल्लिखित परिस्थितियों के:

बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 एए में निर्दिष्ट नौकरी कर्मचारी को इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट से इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि उक्त इनपुट का उपयोग उस नियम के प्रावधानों के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना माल के निर्माण में किया जाता है।

(2) जहां कोई विनिर्माता या उत्पादन सेवा प्रदान करने वाला किसी भी निवेश या निवेश सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाता है और ऐसे अंतिम उत्पादों का निर्माण करता है या ऐसी उत्पादन सेवा प्रदान करता है जो शुल्क या कर के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रभार्य हैं, तो उत्पादन का निर्माता या प्रदाता सेवा अलग-अलग खाते रखेगी-(ए) उपयोग किए गए आदानों की प्राप्ति, खपत और सूची-(आई) छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में; (बी) छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर देय अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में;

(ग) छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए;

(iv) छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर उत्पादन सेवाओं के प्रावधान के लिए; और

(ख) इनपुट सेवाओं की प्राप्ति और उपयोग -

(i) छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में और हटाने के स्थान तक उनकी निकासी;

(ख) छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर, शुल्क योग्य अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में, और हटाने के स्थान तक उनकी निकासी;

(ग) छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए; और

(iv) छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर उत्पादन सेवाओं के प्रावधान के लिए, और खंड (ए) के उप-खंड

(ii) और (iv) के तहत इनपुट और खंड (बी) के उप-खंड (ii) और (iv) के तहत इनपुट सेवाओं पर ही सेनवैट क्रेडिट लेगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, माल का निर्माण या उत्पादन सेवा प्रदाता, अलग-अलग खाते नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी का भी पालन करेगा, जो उसके लिए लागू होगा, अर्थात्:-

(i) छूट प्राप्त वस्तुओं और छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करें; या

((ii) उप-नियम (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करें; या

(iii) उप-नियम (2) के खंड (ए) में दिए गए आदानों की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखें, उक्त खंड (ए) के उप-खंड (ii) और (iv) के तहत केवल निवेश पर सेनवैट क्रेडिट लें और निवेश सेवाओं के संबंध में उप-नियम (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करें। ऐसे भुगतान के लिए खंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) और उप-नियम (3ए) के खंड (सी) के उपखंड (i) और (ii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। बशर्ते कि यदि छूट प्राप्त वस्तुओं पर कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो उसे देय राशि 618 से कम कर दिया जाएगा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

खंड (i) के अधीन:

बशर्ते कि यदि किसी कर योग्य सेवा के मूल्य के किसी भी हिस्से को इस शर्त पर छूट दी गई है कि ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और इनपुट सेवाओं का कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा, तो खंड (i) में निर्दिष्ट राशि इस तरह से छूट प्राप्त मूल्य का छह प्रतिशत होगी: बशर्ते कि रेल द्वारा माल या यात्रियों के परिवहन के मामले में

खंड (i) के तहत भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण I-यदि माल का निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता इस उप-नियम के तहत किसी भी विकल्प का लाभ उठाता है, तो वह अपने द्वारा निर्मित सभी छूट प्राप्त वस्तुओं या, जैसा भी मामला हो, अपने द्वारा प्रदान की गई सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए ऐसे विकल्प का उपयोग करेगा और ऐसे विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.-संदेह को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या उनके संबंध में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर और हटाने के स्थान तक या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उनकी निकासी पर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण III---जो वस्तुएँ और सेवाएँ जो निवेश सेवाएँ नहीं हैं उनपर लगे शुल्क या कर पर कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जा सकता”

(7) नियम 6 (1) में कहा गया है कि छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के संबंध में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर किसी भी प्रकार के ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उप-नियम (2) उप-नियम (1) के लिए अपवाद प्रदान करता है, यह उस स्थिति से संबंधित है जहां निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता शुल्क योग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं दोनों में शामिल है। सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, उप-नियम के खंड (ए) और (बी) में परिकल्पित रूप से अलग-अलग खाते बनाए रखे जाने हैं। उप-नियम (3) एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है और उस स्थिति पर विचार करता है जहां अलग-अलग खाते नहीं रखे जाते हैं और विकल्पों का प्रावधान करता है। खंड (i) के अनुसार, छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का 6 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाना है; या खंड (ii) के अनुसार, उप-नियम (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए; या उप-खंड (iii) में प्रावधान है कि खंड (ए) से उप-नियम (2) और केंद्रीय अपवाद आयोग, चंडीगढ़ II बनाम एम/एस के अनुसार इनपुट की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए एक अलग खाता बनाया जाना है।

619

वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अवनीश झिंगन, जे.)

सेनवैट क्रेडिट केवल खंड (ए) के उपखंड (ii) और (iv) के तहत इनपुट पर लिया जा सकता है और इनपुट सेवा पर उप-नियम (3ए) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान भी किया जा सकता है।

(8) इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि 20.08.2012 तक निर्मित पाइपों की प्रकृति को छूट के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि जी. एम. ए. डी. ए. को छूट प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। प्रतिवादीगण के पास अलग-अलग लेखा पुस्तकें नहीं थीं। जिन वस्तुओं को मंजूरी दी गई थी, वे नियम 6 (3) के तहत शुल्क के भुगतान/समायोजन पर थे और कम अनुपात में शुल्क योग्य

सामान भी थे। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि देय वस्तुओं को 5.11.2012 पर मंजूरी दी गई थी, को चुनौती नहीं दी गई है।

(9) अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं। नियम 6 (2) छूट प्राप्त और देय वस्तुओं के निर्माण के लिए कोई न्यूनतम अनुपात प्रदान नहीं करता है। यह छूट प्राप्त और शुल्क लेने योग्य वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है और अलग-अलग खाते नहीं रखने की स्थिति में नियम 6 (3) लागू होता है और पहले विकल्प के अनुसार निर्माता छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य का 6 प्रतिशत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(10) यह निवेदन कि सितंबर से लेकर 04.11.2012 तक डब्ल्यू. सी. एल. केवल छूट प्राप्त वस्तुओं का निर्माण कर रहा था, केवल अनुमानों पर आधारित है और यह तर्क न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के मद्देनजर स्पष्ट है कि 05.11.2012 पर वस्तुओं को शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दी गई थी। 4.11.2012 से पहले शुल्क योग्य वस्तुओं का कोई निर्माण किए बिना, शुल्क के भुगतान पर 5.11.2012 पर माल को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा, जब शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी और आपूर्ति स्वीकार की जाती है और इस तथ्य से कोई इनकार नहीं होता है कि शुल्क योग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक खरीद आदेश मौजूद था, तो केवल धारणाओं पर इरादे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आचरण धोखाधड़ी था। अधिकारियों ने माल के निर्माण और निकासी में अंतर की भी सराहना नहीं की है।

(11) न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को देखते हुए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि डब्ल्यू. सी. एल. 04.11.2012 तक केवल छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में लिप्त था। आदेश में कोई विकृति नहीं बताई गई है।

(12) न्यायाधिकरण के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्यवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उदेश्यों के लिए निणर्य का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(योगेश चन्द्र गौड)